अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सहरसा**....., सं0.....102....., सन् .....**...2026...**.....

केस का प्रकार..... **भूमि विवाद अपील** .....**(अरूण कुमार एवं अन्य बनाम बिनो यादव एवं अन्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
01.07.2026	प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-28/2025-26 (अरूण यादव एवं अन्य बनाम बीनो यादव एवं अन्य) में दिनांक-23.05.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वाद-पत्र एवं निम्न न्यायालय आदेश का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा के स्तर से उभयपक्ष को सुनकर Facts एवं Findings के आधार पर प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दिया गया है। जो यथोचित प्रतीत होता है। स्वत्व का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्रधिकार में नहीं है। अतः उक्त के आलोक में इस अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा